



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2211]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2009/पौष 9, 1931

No. 2211]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2009/PAUSA 9, 1931

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2009

क्र.आ. 3312(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह निदेश देती हैं कि संघ राज्य क्षेत्र दमण एवं दीव के प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेशों तक, इस संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और उसके कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं 11030/4/2009-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2009

S.O. 3312(E).— In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union Territory of Daman and Diu, shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) within that Union Territory.

[F.No. 11030/4/2009-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.